

प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 11.12.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध चाकू बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में, थानाध्यक्ष पीपीगंज के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 437/2025 धारा धारा 115(2)/109(1)/131/352/351(3) BNS एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त सूर्य कन्नौजिया पुत्र देवेन्द्र कन्नौजिया निवासी बढ़नी टोला परसौना थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया तथा कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू की बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आमर्स एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जी रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.12.2025 को वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजीश को लेकर घर पर आकर वाद विवाद किया गया एवं जान से मारने की नियत से चाकू मारकर घायल कर दिया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सूर्य कन्नौजिया पुत्र देवेन्द्र कन्नौजिया निवासी बढ़नी टोला परसौना थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 437/2025 धारा धारा 115(2)/109(1)/131/352/351(3) BNS व 4/25 आमर्स एक्ट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

01 अदद अवैध चाकू

गिरफ्तारी की टीम-

- थानाध्यक्ष पीपीगंज अरुण कुमार सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- उ0नि0 विकास मिश्रा चौकी प्रभारी जंगल कौड़िया थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- उ0नि0 सौरभ यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
- का0 केशव बिन्द थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर